11 5/22 ... 28/4/22 ...

2814 ... कर ... अनुसार ... 23/5/22

23 5/22 वकुभाय उप०। अप्रार्थी सं० 1 ता 5 की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। अत: अप्रार्थी सं 1 ता 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 27/5/2022 को पेश हो।

27/5 पत्रावली ... हुई। ... उपस्थित। PO ... है। पत्रावली ... दिनांक 23/6/22 ... है।

23 6/22 वकुभाय उप०। अप्रार्थी सं 6 ता 10 की ओर से जवाब पेश हुआ। नकल दिलवायी गयी। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/7/22 को पेश हो।

12 7/22 वकुभाय उप०। बहस हेतु अवसर चाहा वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

19 7/22 पत्रावली पेश हुयी। वकुभाय उभय पक्ष उ० बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 29/7/22 को पेश हो।

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं. ....

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/7/22	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण 06 ता 10 उपस्थित। अप्रार्थीगण 01 ता 05 व 11 के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस उभयपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थीगण 06 ता 10 ने जवाब में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 763 के उत्तर में व उत्तरदाता अप्रार्थीगण 06 ता 10 की भूमि खसरा नंबर 762 के दक्षिण में 10 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थी बहादुर के मकान में जाने का व वाहन लाने ले जाने का कदीमी बना हुआ है। जिसे बंद करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश हुआ है। साथ ही सीमा ज्ञान उत्तरदाता अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति एवं बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया है। वास्तव में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों के सीमाओं से संबंधित कोई विवाद मौके पर नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 763 रकबा 2.00 हैक्टे. का प्रार्थी एकल खातेदार है जिसने विधिक प्रक्रिया अनुसार सीमा ज्ञान शुल्क जमा करवाकर अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थी, अप्रार्थीगण व अन्य पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

प्रा0 पत्र0 230/2021

निर्णय दिनांक 29.07.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गणेश्वर पटवार हल्का गणेश्वर तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 763 रकबा 2.00 हैक्टे. की प्रार्थी, अप्रार्थीगण, एवं अन्य पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2021 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें साथ ही यदि कोई कदीम से प्रचलित रास्ता हो तो उसे तारबन्दी आदि कर बन्द नहीं किया जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner